ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में गोधन न्याय योजना की भूमिका

चन्द्रहास सिंह राजपूत
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पंडरिया, छ.ग.
डॉ. नमिता शर्मा
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, गु. घा. वि. वि. बिलासपुर, छ.ग.

शोध सारांश – गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में एक नया अध्याय का प्रारंभ माना जा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नयी ऊंचाई दिलाने में मदद प्राप्त होती है। इससे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी प्रगति आई है।

शोध शब्द– गौठान, गौशाला, स्वयं सहायता समूह।

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान संस्कृति से जुड़ा एक समृध्द राज्य है। कृषि के माध्यम से यहां की ग्रामीण जनता अपना जीवन यापन करती है। ऐसे में आम किसानों एवं ग्रामीण जनता की आय में वृध्दि के लिए राज्य शासन के द्वारा गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से आम जनता के आय में वृध्दि के साथ इनके विकास के लिए भी उपक्रम तैयार किया गया। इस योजना के माध्यम से पशुधन को भी आय के क्रम से जोड़ने का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी रीति रिवाज बोली मनोरंजन एवं संस्कृति के लिए एक अलग पहचान रखता है। इसी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पर्व हरेली के अवसर पर 20 जुलाई 2020 को गोधन के विकास एवं संरक्षण के लिए गोधन न्याय योजना के नाम से एक महत्वकांक्षी येाजना का प्रारंभ किया।

यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गॉव योजना जिसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी योजना के अंतर्गत भामिल किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में गौठान निर्माण का कार्य किया गया है। गौठान में समितियों के माध्यम से यहां के कार्य का संचालन किया जाता है। इन गौठान समितियों में ज्यादातर महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता प्रदान किया गया है। इन गौठानों में महिलाओं को आर्थिक लाभ अर्जित करने में सहायता प्राप्त होती है। गौठान समितियों द्वारा गोबर का क्रय एवं बिक्री का कार्य किया जाता है।

गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण कर बाहर बाजार में एवं जरूरतमंद को बेचा जाता है। इस योजना की पूर्ति के

Scanned with ACE Scanner

File No.

ACCENT JOURNAL OF ECONOMICS ECOLOGY & ENGINEERING
Peer Reviewed and Refereed Journal, ISSN NO. 2456-1037
Available Online: www.ajeee.co.in/index.php/AJEEE

लिए कृषि उत्पादों एवं गोबर से जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण होता है।गौपालन एवं पशुधन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया।

गौठान निर्माण का प्रमुख उद्देष्य

1. गौ वंशों का संरक्षण।
2. जैविक खाद निर्माण।
3. गोबर उत्पाद को विश्वव्यापी पहचान दिलाना।
4. ग्रामीण जनता का आर्थिक विकास।
5. गोबर गैस को प्रोत्साहन।
6. रोजगार के अवसर प्रदान करना।

वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने हेतु प्रशिक्षण

1. कलेक्टर द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गौठान के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
2. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए चिन्हांकित स्व–सहायता समुह को 2–चक्र में कृषि विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नहीं हैं, जनपद पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समस्त गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के पूर्व कराने का दायित्व कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा को होता है।
3. समस्त गौठानों में समयावधि में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने का दायित्व कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आदि को होता है।
4. शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत संपादित की जाती है।

गौठान में गोबर प्रसंस्करण

1. स्व–सहायता समूह द्वारा गौठान में संग्रहित गोबर से प्राथमिक रूप से वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाता है। स्थानीय मांग एवं आवश्यकतानुसार अन्य उत्पाद भी तैयार किया जाता है।
2. उप–संचालक कृषि अथवा मैदानी अमलों के निगरानी में तकनीकी मापदण्ड अनुसार चिन्हांकित स्व–सहायता समूह के द्वारा गोबर, केंचुआ एवं जैविक अवशेष आदि की वर्मी टांका भराई की जाती है।
3. वर्मी टांका में 15–20 दिन का अपघटित गोबर का ही उपयोग किया जाता है, ताकि गोबर से उत्पन्न होने वाली उष्मा एवं मिथेन गैंस से केंचुआ पर विपरीत प्रभाव न पड़ें।

वर्मी कम्पोस्ट की पैकेजिंग

1. वर्मी कम्पोस्ट तैयार होने के बाद वर्मी कम्पोस्ट एवं केंचुआ को अलग–अलग करने हेतु छलनी का प्रयोग किया जाता है।

Scanned with ACE Scanner

2. वर्मी कम्पोस्ट तैयार होने पर पैकिंग के पूर्व प्रत्येक चक्र में कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षण द्वारा प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नमूना लिया जाता है।
3. गौठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता परीक्षण एवं पैकेजिंग इत्यादि कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कृषि विभाग की देख–रेख में स्व–सहायता समूह द्वारा कराया जाता है।
4. वर्मी कम्पोस्ट की आकर्षक पैकेजिंग का कार्य स्व–सहायता समूह एवं कलेक्टर द्वारा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाता है। पैकिंग उपरांत वर्मी कम्पोस्ट का सुरक्षित भण्डारण स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है।
5. पैकेजिंग हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ (पैकिंग बैग, पैकिंग प्रिंटिंग, वेटिंग मशीन आदि) गौठान समिति की प्राप्तियाँ, चक्रीय निधि आदि से किया जाता है।
6. परीक्षण रिपोर्ट के सफल मानक स्तर का होने पर 2 किग्रा, 5 किग्रा एवं 30किग्रा के पॉली बैग में पैकिंग स्व–सहायता समूह द्वारा किया जाता है।
7. स्व–सहायता समूह को पैकिंग बैग में उत्पाद का विवरण प्रिंटिग कराना होता है।

वर्मी कम्पोस्ट का विवरण

1. वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता है। वर्तमान में यह दर रू 8.00 प्रति कि.ग्राम निर्धारित की गई है। विक्रय हेतु कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।
2. किसानों को गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट का सीधा विक्रय नहीं किया जाता। अपितु उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।
3. वन विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं ग्रामोद्योग रेशम विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रम में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को छोड़कर विभाग हेतु आवश्यक अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा का क्रय गौठानों से किया जाता है।
4. किसी भी विभाग द्वारा टेण्डर से वर्मी–कम्पोस्ट का क्रय नहीं किया जाता है।

गोधन न्याय योजना के लाभ

1. ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।
2. इस योजना के लागू होने से सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही रोकने में मदद मिलेगी।
3. खेती के काम में मवेशियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा।
4. गाय के गोबर से बनने वाली खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कृषि

Scanned with ACE Scanner

कार्यों में होगा जिससे भूमि की उर्वरता में सुधार होगा।
5. राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
6. गौ पालन को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगा।

गोबर का क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया

1. गौठान समितियों द्वारा उसी पंचायत का गोबर क्रय किया जा सकेगा। इस हेतु गौठान समिति द्वारा समय–सारिणी निर्धारित किया गया।
2. गौठान में गोवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं के पालक से गोबर का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जाता है। वर्तमान में शासन द्वारा गोबर की कीमत 2रू./कि.ग्रा. (परिवहन व्यय सहित) की दर निर्धारित की गई है। पशुपालक द्वारा गोबर का विक्रय स्वैच्छिक रूप से किया जाता है।
3. गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाये जाने लायक अर्ध ठोस प्रकृति की होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नहीं होना चाहिए।
4. पशुपालकों से क्रय किये जा रहे गोबर का लेखा विवरण तैयार किया जाता है।

गोधन न्याय योजना की पात्रता–

1. इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के नागरिक उठा सकते हैं।
2. गोधन योजना का लाभ लेने के लिए किसान को गोबर बेचना होगा।
3. छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ निर्धारित ऑफ लाईन स्थानों पर गोबर खरीदने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नागरिक को उस स्थान पर जाकर गोबर देना है।

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि, गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा गोपालकों की आर्थिक स्थिति विकास की ओर अग्रसर हो गया है। जैविक खाद से किसानों की खेतों की उर्वरा शक्ति सदैव बनी रहेगी तथा रासायनिक खाद की निर्भरता कम होगी। अतः इस गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। इससे रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका, जन सम्पर्क विभाग, रायपुर।
2. संबल पत्रिका, जन सम्पर्क विभाग, रायपुर।
3. रोजगार नियोजन पत्रिका, रायपुर।
4. प्रशासकीय प्रतिवेदन, जन सम्पर्क विभाग, रायपुर।
5. मार्गदर्शिका, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, रायपुर।

Scanned with ACE Scanner